संख्या-41/2021/5196 /71-2-2021-30/2018

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की योजना नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI) के अंतर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों संबंधी प्रायोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने (महानिदेशक) के पत्रांक-एमई/बजट/2020-21/125, दिनांक 18-02-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की योजना 'नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI)' के अंतर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों संबंधी प्रायोजना हेतु मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की योजना नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (NPPMBI) के अंतर्गत प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पुरानी ओ0टी0, डिजास्टर रूम के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 147.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष धनराशि रू0 73.97 लाख (केन्द्रांश रू0 44.382 लाख एवं राज्यांश रू0 29.588 लाख) अवमुक्त किए जाने एवं संलग्न बी0एम0-9 से वहन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. भारत सरकार के पत्रांक एस-11025/23/2014-एम0एच0-III एफ0टी0एस0 न0-98076/2014, दिनांक 07.12.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 (यथा-संशोधित) दिनांक 07-04-2020, दिनांक 11-04-2020 एवं दिनांक 29-09-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं की जायेगी।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है। निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए।
8. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
9. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
14. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
15. विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
16. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
18. प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
19. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी पक्ष में मानक मद "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-66-के0जी0एम0यू0, लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी (के.-60/रा-40-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखा-शीर्षक में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग करते हुए वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर0ई-444/ई-3-263/दस-2021, दिनांक 01 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त (बी0एम0-9)

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2021/5196/71-2-21-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename:	41
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	3/31/2021 2:14:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	3/31/2021 2:14:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	1 Minute
Last Printed On:	3/31/2021 2:14:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	3
Number of Words:	1,053 (approx.)
Number of Characters:	6,008 (approx.)